

ज्योति योजना

As on Report January 2016

1	योजना का नाम	ज्योति योजना		
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	माननीय मुख्य मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 में की गई बजट घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में केवल एक अथवा केवल दो बालिकाओं के पश्चात् स्वेच्छा से परिवार कल्याण का स्थाई साधन (नसबन्दी ऑपरेशन) अपनाने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और रोजगार के अवसरों में प्राथमिकता देने हेतु ज्योति योजना तैयार की गई है। इस योजना का उद्देश्यमएसी महिलाओं को रोल मॉडल के रूप में प्रचारित करना है जिससे छोटे परिवार की आदर्श अवधारणा व बालिका के महत्व को बढ़ावा मिलेगा।		
3	प्रारम्भ होने का वर्ष	1 अप्रैल 2011		
4	लाभान्वित वर्ग	केवल एक अथवा केवल दो बालिकाओं के पश्चात् स्वेच्छा से परिवार कल्याण का स्थाई साधन (नसबन्दी ऑपरेशन) अपनाने वाली राजस्थान प्रदेश की समस्ता महिलायें।		
5	पात्रता	आयु सीमा 22 से 32 वर्ष		
6	देय सुविधाएँ	<ul style="list-style-type: none"> • समाज में रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाना। • पात्र महिलाओं का राष्ट्रीय एवं स्थानीय समारोह में सम्मान। • शिक्षा के लिए सहायता। • सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सेवाएँ। • आशा सहयोगीनों, आंगनबाडी कार्यकर्ता के चयन हेतु उचित पात्र महिलाओं को वरीयता। • राज्य में सामाजिक क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित गतिविधियों में सहभागिता। • अन्य राज्यों में लर्निंग विजिट। 		
7	योजना की प्रगति	<p style="text-align: center;">योजना के प्रारम्भा से अब तक</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">भौतिक लक्ष्या</td> <td style="padding: 5px;">भौतिक उपलब्धि :- 776 महिलाएँ</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> • ज्योति योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2011-12 में कुल 349 एवं 2012-13 में 267 एवं वित्तीय वर्ष 2013-14 में 160 योग्य महिलाओं को लाभान्वित किया गया। <p>वित्तीय वर्ष 2014-15 में योग्य महिलाओं का चिन्हिकरण जारी है जिससे योजना के लाभो से अधिक से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया जा सके।</p>	भौतिक लक्ष्या	भौतिक उपलब्धि :- 776 महिलाएँ
भौतिक लक्ष्या	भौतिक उपलब्धि :- 776 महिलाएँ			